रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 289] नई दिल्ली, बुधवार, जून 27, 2007/आषाढ़ 6, 1929
No. 289] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 27, 2007/ASADHA 6, 1929

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली 4 मई, 2007

सा.का.नि. 446(अ).—कयर उद्योग अधिनियम, 1953 (1953 का 45) की धारा 27 तथा कयर बोर्ड (कार्यों का सम्पादन, कार्मिकों की सेवा की शर्तें तथा लेखा रख-रखाव) उप-नियम, 1955 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में, तथा केन्द्र सरकार द्वारा सुनिश्चित किया गया निम्नलिखित उप-नियम, उक्त अधिनियम की धारा 27 की उप-धारा (2) के अपेक्षानुसार, प्रकाशित किया जाता है, नामत: :—

1. (i) यह उप-नियम कयर बोर्ड (कार्यों का सम्पादन, कार्मिकों की सेवा की शर्तें तथा लेखा रख-रखाव) संशोधन उप-नियम, 2007 कहला सकता है।

(ii) यह सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगी।

2. कयर बोर्ड (कार्यों का सम्पादन, कार्मिकों की सेवा की शर्तें तथा लेखा रख-रखाव) उप-नियम, 1955 की अनुसूची में—

(i) क्रम संख्या 8, तथा तत्सम्बन्धी प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित स्थानापन्न किया जाएगा।

1	2	3	4	5
"8.	व्यय करने के लिए	अनुमोदित बजट आबंटन के अंतर्गत, प्रत्येक मामले में 25,000 रुपए से अधिक तथा 1,00,000 रुपए तक ।	अनुमोदित बजट आबंटन के अन्तर्गत, प्रत्येक मामले में 5,000 रुपए से अधिक तथा 25,000 रुपए तक ।	अनुमोदित बजट आबंटन के अन्तर्गत, प्रत्येक मामले में 5,000 रुपए से अधिक ।"

(ii) क्रम संख्या 8क, तथा तत्संबंधी प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित स्थानापन्न किया जाएगा।

	2	3	4	5
"8क.	पावरलूम कारखाना की आवश्यकताओं की खरीद के लिए अनुमोदन तथा व्यय करने के लिए	अनुमोदित बजट आबंटन के अंतर्गत, किसी भी एक मामले में 50,000 रुपए से अधिक लेकिन 1,00,000 रुपए से कम ।	अनुमोदित बजट आबंटन के अन्तर्गत, किसी भी मामले में 50,000 रुपए तक।	अनुमोदित बजट आबंटन के अन्तर्गत, किसी भी मामले में 20,000 रुपए तक ।"

[फा. सं. 6(4)94-कयर]

शेष कुमार पुलिपाका, संयुक्त सचिव

तथ्य टिप्पण : मुख्य उप-नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में संख्या 42-एस.एस.आई. (34)/54, दिनांक 15 जनवरी, 1955 में प्रकाशित हुआ तथा अधिसूचना संख्या 42-एल.आई.(बी) 34/55, दिनांक 12 जुलाई, 1956, संख्या 15(1)2 वस्त्र (ई)/67/वस्त्र (डी), दिनांक 21 जुलाई, 1969, संख्या 24(2)76-आई.सी.सी. (कयर), दिनांक 9 सितम्बर, 1976 तथा का.आ. 670(अ), दिनांक 25 अगस्त, 1989 द्वारा संशोधित किया गया ।

MINISTRY OF AGRO AND RURAL INDUSTRIES

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th May, 2007

G.S.R. 446(E).—The following bye-laws made by the Coir Board, in exercise of the powers conferred by Section 27 of the Coir Industry Act, 1953 (45 of 1953), further to amend the Coir Board (Transaction of Business, Conditions of Service of Employees and Maintenance of Accounts) Bye-laws, 1955 and confirmed by the Central Government, are hereby published, as required by Sub-section (2) of Section 27 of said Act, namely :—

1. (1) These bye-laws may be called the Coir Board (Transaction of Business, Conditions of Service of Employees and Maintenance of Accounts) Amendment Bye-laws, 2007.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Coir Board (Transaction of Business, Conditions of Service of Employees and Maintenance of Accounts) Bye-laws, 1955,—

(i) for serial number 8, and the entries relating thereto the following shall be substituted, namely :—

1	2	3	4	5
"8.	To incur expenditure	Above Rs. 25,000 and upto Rs. 1,00,000 in each case, within the sanctioned budget allotment.	Above Rs. 5,000 and upto Rs. 25,000 in each case, within the sanctioned budget allotment.	Upto Rs. 5,000 in each case within the sanctioned budget allotment."

(ii) for serial number 8A and the entries relating thereto the following shall be substituted, namely :—

1	2	3	4	5
"8A.	To sanction and incur expenditure for purchase of require-ments of the powerloom factory	Above Rs. 50,000 but below Rs. 1,00,000 on any one item within the sanctioned budget allotment.	Upto Rs. 50,000 on any one item within the sanctioned budget allotment.	Upto Rs. 20,000 on any one item within the sanctioned budget allotment."

[F. No. 6(4)94-Coir]

SESH KUMAR PULIPAKA, Jt. Secy.

Fact Note : The principal bye-laws, were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* No. 42-SSI (34)/54, dated 15th January, 1955 and were amended by Notification No. 42-LI(b)34/55, dated 12th July, 1956, No. 15(1)/Text(E)/67/Text(D), dated 21st July, 1969, No. 24(2)76-ICC(Coir), dated 9th September, 1976 and S.O. 670(E), dated 25th August, 1989.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.